अनुदान संख्या 42 – स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
GRANT No. 42 - MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	74349,45,00	78297,08,00	74369,02,36	-3928,05,64
पूरक	Supplementary	3947,63,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				2639,68,60
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	2720,40,00	4735,33,00	4314,42,99	-420,90,01
पूरक	Supplementary	2014,93,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				382,80,80

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹392805.64 लाख) जुलाई, 2018, दिसंबर, 2018 और फरवरी, 2019 में प्राप्त किए गए ₹394763.00 लाख के पूरक अनुदान का 99 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 5 प्रतिशत थीं:–

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत हुईं/हुआ:–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹392805.64 lakhs) constituted 99 percent of the supplementary grants of ₹394763.00 lakhs obtained in July, 2018, December, 2018 and February, 2019 and 5 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2251"	Major head "2251"				
सचिवालय – सामाजिक सेवाएं	Secretariat- Social Services				
मू.	O.	15900.00	17774.01	17081.77	-692.24
पु.	R.	1874.01			
मुख्य शीर्ष "2071"	Major head "2071"				
पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	Pensions and other Retirement Benefits				
मू.	O.	155886.00	178886.00	175910.03	-2975.97
पू.	S.	15000.00			
पु.	R.	8000.00			
मुख्य शीर्ष "2210"	Major head "2210"				
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	Medical and Public Health				
मू.	O.	3740776.00	4057507.69	3947349.71	-110157.98
पू.	S.	318312.00			
पु.	R.	-1580.31			
मुख्य शीर्ष "2211"	Major head "2211"				
परिवार कल्याण	Family Welfare				
मू.	O.	331318.00	264672.49	260509.94	-4162.55
पू.	S.	3.00			
पु.	R.	-66648.51			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	412795.00			
पू.	S.	9066.00	1.00	..	-1.00
पु.	R.	-421860.00			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	2747839.00			
पू.	S.	22800.00	2996238.81	2993326.53	-2912.28
पु.	R.	225599.81			
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"				
विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	29556.00			
		2.00	20079.40	19239.71	-839.69
पु.	R.	-9478.60			
मुख्य शीर्ष "3606"	Major Head "3606"				
सहायता सामग्री और उपस्कर	Aid Materials and Equipments				
मू.	O.	500.00			
			30080.00	22999.62	-7080.38
पू.	S.	29580.00			

(I) ₹427333.00 लाख का प्रावधान (₹9067.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) तिरपन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से, ₹423805.00 लाख अकेले निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(का) मुख्य शीर्ष "2210" – "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान – अन्य व्यय – अनुसंधान नवोन्मेष तथा प्रौद्योगिकी प्रभावीकरण (इम्प्रिंट) स्कीम" – ₹3000.00 लाख – अनुदायी निकाय से व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण।

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" –

(क) "परिवार कल्याण – निदेशन और प्रशासन – अवसंरचना अनुरक्षण" – ₹26224.00 लाख;

(ख) "परिवार कल्याण – प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम" –

(i) "एनआरएचएम – आरसीएच लचीला पूल" – ₹122341.00 लाख;

(ii) "राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन – लचीला पूल" – ₹3291.00 लाख;

(ग) "परिवार कल्याण – अन्य व्यय – एनआरएचएम को अग्रिम संपर्क" – ₹2749.00 लाख;

(घ) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – एलोपैथी – केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम – औषधालय तथा अस्पताल खोला जाना" – ₹2310.00 लाख;

(ङ) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान – एलोपैथी" –

(i) "इंदिरा गांधी पूर्वोत्तर क्षेत्रीय स्वास्थ्य और

(I) Provision of ₹427333.00 lakhs (including supplementary grant of ₹9067.00 lakhs) remained wholly unutilized under fifty three heads; of these ₹423805.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2210" - "Medical Education, Training and Research – Other Expenditure – Impacting Research Innovation and Technology (IMPRINT) Scheme" – ₹3000.00 lakhs – due to non-receipt of viable proposals from grantee body.

(B) Major Head "2552" –

(a) "Family Welfare – Direction and Administration – Infrastructure Maintenance" – ₹26224.00 lakhs;

(b) "Family Welfare – Reproductive and Child Health Programme" –

(i) "NRHM - RCH Flexible Pool" – ₹122341.00 lakhs;

(ii) "National Urban Health Mission - Flexible Pool." – ₹3291.00 lakhs;

(c) "Family Welfare – Other Expenditure – Forward Linkage to NRHM" – ₹2749.00 lakhs;

(d) "Urban Health Services – Allopathy – Central Government Health Scheme – Setting up of Dispensaries and Hospitals" – ₹2310.00 lakhs;

(e) "Medical Education, Training and Research – Allopathy" –

(i) "North-Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and

चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग" – ₹21200.00 लाख;

(ii) "क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, इम्फाल" – ₹29206.00 लाख (₹9066.00 लाख के पूरक अनुदान सहित);

(iii) "लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर" – ₹6000.00 लाख;

(iv) "क्षेत्रीय पराचिकित्सा और नर्सिंग विज्ञान संस्थान, आइजोल" – ₹3200.00 लाख;

(v) "स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन" – ₹43045.00 लाख;

(च) "लोक स्वास्थ्य – रोगों की रोकथाम और नियंत्रण" –

(i) "राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम" – ₹21000.00 लाख;

(ii) "संचारी रोगों को लिए लचीला पूल" – ₹15066.00 लाख;

(iii) "गैर–संचारी रोगों को लिए लचीला पूल" – ₹9054.00 लाख;

(iv) "राज्य औषधि विनियामक प्रणाली का सुदृढ़ीकरण" – ₹1408.00 लाख;

(छ) "लोक स्वास्थ्य – अन्य व्यय" –

(i) "अभिघात केन्द्रों के लिए क्षमता निर्माण संबंधी सहायता" – ₹1025.00 लाख;

Medical Sciences, Shillong" – ₹21200.00 lakhs;

(ii) "Regional Institute of Medical Sciences, Imphal" – ₹29206.00 lakhs (including supplementary grant of ₹9066.00 lakhs);

(iii) "Lokopriya Gopinath Bordoloi Regional Institute of Mental Health (LGBRIMH), Tezpur"- ₹6000.00 lakhs;

(iv) "Regional Institute of Paramedical and Nursing Sciences (RIPANS), Aizawl" – ₹3200.00 lakhs;

(v) "Human Resources for Health & Medical Education"– ₹43045.00 lakhs;

(f) "Public Health – Prevention and Control of Diseases" –

(i) "National AIDS & STD Control Programme"- ₹21000.00 lakhs;

(ii) "Flexible Pool for Communicable Diseases" – ₹15066.00 lakhs;

(iii) "Flexible Pool for Non-Communicable Diseases" – ₹9054.00 lakhs;

(iv) "Strengthening of State Drug Regulatory System"- ₹1408.00 lakhs;

(g) "Public Health – Other Expenditure"-

(i) "Assistance for Capacity Building for Trauma Centres" – ₹1025.00 lakhs;

(ii) "कैंसर, मधुमेह, हृदयवाहिनी रोगों एवं आघात संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम" – ₹2035.00 लाख;

(iii) "वृद्धों के स्वास्थ्य की देखभाल संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम" – ₹600.00 लाख;

(iv) "राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना – आरएसएसवाई" – ₹5500.00 लाख;

(ज) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" –

(i) "अवसंरचना अनुरक्षण" – ₹4006.00 लाख;

(ii) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान एलोपैथी" – ₹13131.00 लाख;

(iii) "लोक स्वास्थ्य – रोगों की रोकथाम और नियंत्रण" – ₹615.00 लाख;

(iv) "एनआरएचएम – आरसीएच लचीला पूल" – ₹18691.00 लाख;

(v) "संचारी रोगों के लिए लचीला पूल" – ₹2384.00 लाख;

(vi) "गैर–संचारी रोगों के लिए लचीला पूल" – ₹1383.00 लाख;

(vii) "राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना – आरएसएसवाई" – ₹4000.00 लाख;

(झ) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना" –

(i) "अवसंरचना अनुरक्षण" – ₹6192.00 लाख;

(ii) "National Programme for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Diseases and Stroke" - ₹2035.00 lakhs;

(iii) "National Progamme for Health Care for the Elderly" – ₹600.00 lakhs;

(iv) "Rashtriya Swasthya Bima Yojna (RSBY) - RSSY"- ₹5500.00 lakhs;

(h) "Special Component Plan for Scheduled Castes" –

(i) "Infrastructure Maintenance" – ₹4006.00 lakhs;

(ii) "Medical Education, Training and Research Allopathy" - ₹13131.00 lakhs;

(iii) "Public Health-Prevention and Control of Diseases" - ₹615.00 lakhs;

(iv) "NRHM-RCH Flexible Pool" – ₹18691.00 lakhs;

(v) "Flexible Pool for Communicable Diseases" – ₹2384.00 lakhs;

(vi) "Flexible Pool for Non-Communicable Diseases" – ₹1383.00 lakhs;

(vii) "Rashtriya Swasthya Bima Yojna (RSBY) - RSSY" - ₹4000.00 lakhs;

(i) "Tribal Area Sub Plan" –

(i) "Infrastructure Maintenance" – ₹6192.00 lakhs;

(ii) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान एलोपैथी" – ₹6802.00 लाख;

(iii) "एनआरएचएम – आरसीएच लचीला पूल" – ₹28885.00 लाख;

(iv) "राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन – लचीला पूल" – ₹1005.00 लाख;

(v) "संचारी रोगों के लिए लचीला पूल" – ₹4219.00 लाख;

(vi) "गैर–संचारी रोगों के लिए लचीला पूल" – ₹2138.00 लाख; और

(vii) "राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना – आरएसएसवाई" – ₹10500.00 लाख।

उपर्युक्त बत्तीस शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" – "राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान – विशेष सहायता – गरीबों को अस्पताल में दाखिल किए जाने पर व्यय के लिए सहायता" – ₹1600.00 – केन्द्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के कारण राष्ट्रीय आरोग्य निधि सोसायटी को बंद किए जाने के कारण।

(II) मुख्य शीर्ष "2210" – "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान – एलोपैथी – क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केन्द्र, जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी" – ₹109670.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹1000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹110670.00 लाख कर दिया गया। तथापि, पिछले वर्ष के अव्ययित शेषों की उपलब्धता होने, अनुदायी निकायों द्वारा

(ii) "Medical Education, Training and Research Allopathy" - ₹6802.00 lakhs;

(iii) "NRHM-RCH Flexible Pool" - ₹28885.00 lakhs;

(iv) "National Urban Health Mission – Flexible Pool" – ₹1005.00 lakhs;

(v) "Flexible Pool for Communicable Diseases" – ₹4219.00 lakhs;

(vi) "Flexible Pool for Non-Communicable Diseases" – ₹2138.00 lakhs; and

(vii) "Rashtriya Swasthya Bima Yojna (RSBY) - RSSY" - ₹10500.00 lakhs;

Provisions under the above thirty two heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(C) Major head "3601" - "Other Transfer/Grants to States – Special Assistance – Assistance towards expenditure on Hospitalisation of the Poor" – ₹1600.00 lakhs - due to discontinuance of Rashtriya Arogya Nidhi Society owing to Union Cabinet decision.

(II) Under Major Head "2210" – "Medical Education, Training and Research – Allopathy - Regional Post Graduate Centre, Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research (JIPMER), Puducherry" – the original provision of ₹109670.00 lakhs was augmented to ₹110670.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹1000.00 lakhs. However, there was a saving of ₹27542.00 lakhs - due to availability of unspent balances of previous year, non-submission of utilization

उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत न किए जाने तथा व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण ₹27542.00 लाख की बचत हुई।

(III) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहाः–

(का) मुख्य शीर्ष "2210" –

(क) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान" –

(i) "एलोपैथी – अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली" – ₹301800.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹28001.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹329801.00 लाख कर दिया गया जो, तथापि, भुगतान प्रक्रिया प्रणाली द्वारा बिलों को स्वीकृत न किये जाने के कारण ₹6901.00 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ii) "आरक्षित निधि/जमा लेखे को अंतरण – केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि से सहायता" – ₹185010.00 लाख की निधि पूरक अनुदान प्राप्त करके मुहैय्या कराई गई थी जो, तथापि, चिकित्सा उपचार तथा अन्य प्रशासनिक खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण ₹769.99 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रही।

(ख) "लोक स्वास्थ्य – अन्य व्यय – राष्ट्रीय आरोग्य निधि" – ₹3200.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹2250.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹5450.00 लाख कर दिया गया जो, तथापि, दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित गरीब रोगियों को वित्तीय सहायता हेतु पर्याप्त संख्या में प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण ₹275.00 लाख की सीमा

certificate by grantee bodies and non-receipt of viable proposals.

(III) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(A) Major Head "2210"

(a) "Medical Education, Training and Research"-

(i) "Allopathy – All India Institute of Medical Sciences, New Delhi" – the original provision of ₹301800.00 lakhs was augmented to ₹329801.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹28001.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹6901.00 lakhs – due to non-acceptance of bills by the payment process system.

(ii) "Transfer to Reserve Fund/Deposit Account – Support from Central Roads and Infrastructure Fund (CRIF)" - funds of ₹185010.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of ₹769.99 lakhs - due to requirement of less funds towards medical treatment and other administrative expenses.

(b) "Public Health – Other Expenditure - Rashtriya Arogya Nidhi" – the original provision of ₹3200.00 lakhs was augmented to ₹5450.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹2250.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹275.00 lakhs – due to non-receipt

तक अप्रयुक्त रहा।

of adequate number of proposals for financial assistance from poor patients suffering from rare diseases.

(खा) मुख्य शीर्ष "3606" – "यूनीसेफ से सहायता – राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम और पोलियो उन्मूलन के सुदृढ़ीकरण के लिए सामग्री सहायता" – ₹500.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹29580.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹30080.00 लाख किया गया जो, तथापि, निविदा प्रक्रिया और अधिप्राप्ति कार्यकलापों में विलंब के कारण स्कीम को मूर्तरूप न दिए जाने की वजह से ₹7080.38 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(B) Under Major Head "3606" - "Assistance from UNICEF - Material Assistance for Strengthening of National Immunisation Programme and Polio Eradication" - the original provision of ₹500.00 lakhs was augmented to ₹30080.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹29580.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹7080.38 lakhs - due to non-materialisation of the scheme owing to delay in tendering and procurement activities.

(IV) मुख्य शीर्ष "2210" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(IV) Under Major Head "2210" – savings occurred under the following heads:-

(का) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – एलोपैथी" –

(A) "Urban Health Services – Allopathy"

(क) "निदेशन और प्रशासन" –

(a) "Direction and Administration" –

(i) "स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशालय" – ₹708.57 लाख की बचत (₹6158.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(i) "Directorate General of Health Services" – saving of ₹708.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6158.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and receipt of less claims.

(ii) "राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय" – ₹2113.86 लाख की बचत (₹3144.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विदेशों से चिकित्सा जर्नलों के लिए बिल प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ii) "National Medical Library" - saving of ₹2113.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3144.00 lakhs) was due to non-receipt of bills for medical journals from abroad.

(ख) "केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना – औषधालयों/अस्पताल खोला जाना" – ₹2824.61 लाख की बचत (₹122842.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भुगतान प्रक्रिया प्रणाली के द्वारा बिलों को स्वीकार न किए जाने के कारण हुई।

(b) "Central Government Health Scheme"- "Setting up of Dispensaries/Hospitals"- saving of ₹2824.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹122842.00 lakhs) was due to non-acceptance of bills by the payment process system.

(ग) "चिकित्सा भंडार डिपो" –

(i) "भारत तथा विदेश में सामग्रियों की खरीद" – ₹21772.63 लाख की बचत (₹31000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) औषधियों तथा दवाओं की कम अधिप्राप्ति के कारण हुई।

(ii) "डिपो" – ₹614.16 लाख की बचत (₹6065.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(घ) "अस्पताल और औषधालय" –

(i) "सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली" – ₹1069.65 लाख की बचत (₹102670.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ii) "केंद्रीय मनोरोग विज्ञान संस्थान, राँची" – ₹1184.40 लाख की बचत (₹8486.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों को न भरे जाने और कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(ङ) "अन्य व्यय – काया कल्प स्कीम के अंतर्गत अस्पताल/संस्थाएं" – ₹999.96 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) इस स्कीम के अंतर्गत पुरस्कार के लिए अस्पतालों/संस्थाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(खा) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान – एलोपैथी" –

(क) "अखिल भारतीय वाक एवं श्रवण संस्थान, मैसूर" – ₹7411.71 लाख की बचत (₹13347.00 लाख के

(c) "Medical Stores Depot" –

(i) "Purchase of Material in India and Abroad" - saving of ₹21772.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹31000.00 lakhs) was due to procurement of less drugs and medicines.

(ii) "Depots"- saving of ₹614.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6065.00 lakhs);

(d) "Hospitals and Dispensaries" –

(i) "Safdarjung Hospital, New Delhi"- saving of ₹1069.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹102670.00 lakhs); and

(ii) "Central Institute of Psychiatry, Ranchi" – saving of ₹1184.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8486.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to non-filling up of vacant posts and receipt of less claims.

(e) "Other Expenditure – Hospitals/ Institutions under Kaya Kalp Scheme"- saving of ₹999.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to non- finalization of Hospital/ Institutions for award under the scheme.

(B) "Medical Education, Training and Research – Allopathy"-

(a) "Grants to All India Institute of Speech and Hearing, Mysore" – saving of ₹7411.71

स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष के अव्ययित शेष के उपलब्ध होने तथा अनुदायी निकायों द्वारा उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किए जाने के कारण हुई।

lakhs (against sanctioned provision of ₹13347.00 lakhs) was due to availability of unspent balances of the previous year and non-submission of utilization certificates by grantee bodies.

(ख) "एम्स सरीखे अति विशिष्ट अस्पतालों–सह–शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा राज्य सरकारी अस्पतालों का उन्नयन" – ₹694.44 लाख की बचत (₹185010.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चिकित्सा उपचार तथा अन्य प्रशासनिक खर्चों के लिए कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(b) "Establishment of AIIMS type Super-Speciality Hospital-cum-Teaching Institutions and upgrading of State Government Hospitals"- saving of ₹694.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹185010.00 lakhs) was due to receipt of less proposals for medical treatment and other administrative expenses.

(ग) "पर्यवेक्षण समिति के अनुसार उच्च शिक्षण संस्था" – ₹1200.00 लाख की बचत (₹1850.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चिकित्सा संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता हेतु व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(c) "Institution of Higher Learning as per Oversight Committee" - saving of ₹1200.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1850.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals towards financial assistance for strengthening of medical institutions.

(गा) "लोक स्वास्थ्य" –

(C) "Public Health"-

(क) "निदेशन और प्रशासन" –

(a) "Direction and Administration" –

(i) "विमानपत्तन संगठन सहित पत्तन स्वास्थ्य स्थापना" – ₹1213.19 लाख की बचत (₹4791.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(i) "Port Health Establishment including Airport Organisation" – saving of ₹1213.19 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4791.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and receipt of less claims.

(ii) "एनआरएचएम–आरसीएच लचीला पूल" – ₹546.71 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, कम प्रशिक्षण कार्यक्रम/सम्मेलनों का आयोजन होने, मीडिया प्रचार को अंतिम रूप न दिए जाने तथा कार्यान्वयन एजेंसियों से व्यवहार्य

(ii) "NRHM-RCH Flexible Pool" – saving of ₹546.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, conduction of less training programmes/ conferences, non-finalisation of media campaign

प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(iii) "संचारी रोगों के लिए लचीला पूल" – ₹148839.48 लाख की बचत (₹297800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, कम दावे प्राप्त होने तथा भुगतान प्रक्रिया द्वारा बिल स्वीकार न किए जाने के कारण हुई।

(ख) "रोगों की रोकथाम और नियंत्रण" –

(i) "राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान (राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र), दिल्ली" – ₹796.38 लाख की बचत (₹5887.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने तथा लघु निर्माण कार्य का निष्पादन न होने के कारण हुई।

(ii) "राष्ट्रीय एड्स तथा एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम" – ₹2110.50 लाख की बचत (₹176000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भुगतान प्रक्रिया प्रणाली द्वारा बिलों को स्वीकार न किए जाने के कारण हुई।

(iii) "राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम" – ₹1119.08 लाख की बचत (₹1320.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, कम प्रशिक्षण कार्यक्रम/सम्मेलन आयोजित किए जाने, मीडिया प्रचार को अंतिम रूप न दिए जाने, सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रस्तावों को अनुमोदित करने में विलंब होने, वित्तपोषण पद्धति में बदलाव होने तथा संस्थानों/कार्यान्वयन एजेंसियों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

and non-receipt of viable proposals from implementing agencies.

(iii) "Flexible pool for Communicable Diseases" – saving of ₹148839.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹297800.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less claims and non-acceptance of bills by the payment process.

(b) "Prevention and Control of Diseases"–

(i) "National Institute of Communicable Diseases (National Centre for Disease Control), Delhi" - saving of ₹796.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5887.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-execution of minor works.

(ii) "National AIDS and STD Control Program" - saving of ₹2110.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹176000.00 lakhs) was due to non-acceptance of bills by the payment process system.

(iii) "National Mental Health Program" - saving of ₹1119.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1320.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, conducting of less training programmes/conferences, non-finalisation of media campaign, delay in approval of proposal by the competent authority, change in funding pattern and non-receipt of viable proposals from institutions/ implementing agencies.

(iv) “गैर संचारी रोगों के लिए लचीलापूल” – ₹2091.14 लाख की बचत (₹2900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(iv) “Flexible Pool for Non-Communicable Diseases” – saving of ₹2091.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2900.00 lakhs);

(v) “टेलीमेडीसिन” – ₹1295.76 लाख की बचत (₹5500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(v) “Telemedicine” – saving of ₹1295.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5500.00 lakhs); and

(vi) “अभिघात केंद्रों के लिए क्षमता निर्माण हेतु सहायता” – ₹1108.35 लाख की बचत (₹1637.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(vi) “Assistance for Capacity Building for Trauma Centres”- saving of ₹1108.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1637.00 lakhs).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों को न भरे जाने, कम प्रशिक्षण कार्यक्रम/सम्मेलन आयोजित किए जाने, मीडिया प्रचार को अंतिम रूप न दिए जाने तथा कार्यान्वयन एजेंसियों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुईं।

Savings under the above three heads were due to non-filling up of vacant posts, conducting of less training programmes/conferences, non-finalisation of media campaign and non-receipt of viable proposals from implementing agencies.

(vii) “एनसीडीसी शाखाओं तथा स्वास्थ्य पहलों की स्थापना और सदृढ़ीकरण, जूनोटिक रोगों तथा अन्य उपेक्षित उष्णकटिबन्धीय रोगों के लिए तैयारी तथा नियंत्रण हेतु अंतर–क्षेत्रीय समन्वय, वायरल हेपेटाइटिस, एंटी माइक्रोबॉयल रेजिस्टेंस की पड़ताल” – ₹5719.59 लाख की बचत (₹7000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(vii) “Establishment and strengthening of NCDC Branches and Health Initiatives, Inter-Sectoral Co-ordination for preparation and control of Zoonotic Diseases and other neglected tropical diseases, surveillance of Viral Hepatitis, Anti Microbial Resistance” – saving of ₹5719.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7000.00 lakhs);

(ग) “औषध नियंत्रण – केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन” – ₹3761.39 लाख की बचत (₹14000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(c) “Drugs Control - Central Drugs Standards Control Orgainisation” – saving of ₹3761.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14000.00 lakhs);

(घ) “लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं – केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली” – ₹1481.74 लाख की बचत (₹6132.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(d) “Public Health Laboratories” - “Central Research Institute, Kasauli” – saving of ₹1481.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6132.00 lakhs);

(ङ) "लोक स्वास्थ्य शिक्षा – अखिल भारतीय स्वच्छता और लोक स्वास्थ्य संस्थान – कोलकाता" – ₹584.34 लाख की बचत (₹3774.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(च) "सेरा/वैक्सीन का निर्माण" –

(i) "बी.सी.जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गुईंडी, चेन्नई" – ₹689.04 लाख की बचत (₹2133.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों को न भरे जाने और कम दावे प्राप्त होने के कारण हुईं।

(ii) "भारतीय पास्चर संस्थान, कूनूर को अनुदान" – ₹2000.00 लाख की बचत (₹7420.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, कम प्रशिक्षण कार्यक्रम/सम्मेलन आयोजित किए जाने, मीडिया प्रचार को अंतिम रूप न दिए जाने तथा कार्यान्वयन एजेंसियों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(छ) "आरक्षित निधि/जमा लेखे को अंतरण – राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण के लिए निधि – स्वास्थ्य" – ₹292787.24 लाख की बचत (₹1894815.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिप्राप्ति कार्यकलापों में विलंब होने, मीडिया प्रचार को अंतिम रूप न दिए जाने, कार्यान्वयन एजेंसियों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ज) "अन्य व्यय" –

(i) "केंद्रीय स्कीम के अंतर्गत नई पहलें" – ₹8258.66 लाख की बचत (₹9014.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों

(e) "Public Health Education - All India Institute of Hygiene and Public Health, Kolkata" – saving of ₹584.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3774.00 lakhs); and

(f) "Manufacture of Sera/Vaccine" –

(i) "B.C.G. Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai" – saving of ₹689.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2133.00 lakhs).

Savings under the above five heads were due to non-filling up of vacant posts and receipt of less claims.

(ii) "Grants to Pasteur Institute of India, Coonoor"- saving of ₹2000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7420.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, conduction of less training programs/conferences, non-finalisation of media campaign and non-receipt of viable proposals from implementing agencies.

(g) "Transfer to Reserve Fund/Deposit Account- Fund for transfer to National Investment Fund (NIF) - Health"— saving of ₹292787.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1894815.00 lakhs) was due to delay in procurement activities, non-finalisation of media campaign, non-receipt of viable proposals from implementing agencies.

(h) "Other Expenditure" –

(i) "New Initiatives under Central Scheme" - saving of ₹8258.66 lakhs (against the sanctioned provision of

को न भरे जाने और कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(ii) "अन्य स्वास्थ्य स्कीम (प्रायोगिक)" – ₹1328.91 लाख की बचत (₹3948.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(iii) "राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना – आरएसएसवाई" – ₹29589.24 लाख की बचत (₹30000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों को न भरे जाने, कम प्रशिक्षण कार्यक्रम/सम्मेलन आयोजित किए जाने, मीडिया प्रचार को अंतिम रूप न दिए जाने तथा कार्यान्वयन एजेंसियों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(iv) "आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए मानव संसाधन विकास" – ₹1553.19 लाख की बचत (₹6500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीमों को अनुमोदन न दिए जाने तथा उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

(घा) "सामान्य – स्वास्थ्य सांख्यिकी और मूल्यांकन – स्वास्थ्या सूचना और निगरानी प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण" – ₹3327.86 लाख की बचत (₹6393.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम सरकारी दौरे किए जाने, चिकित्सा दावे प्राप्त न होने, कम संविदागत कर्मचारी लगाए जाने और किफायत उपाय किए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "2211" – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "निदेशन और प्रशासन" –

₹9014.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and receipt of less claims.

(ii) "Other Health Scheme (Pilot)" - saving of ₹1328.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3948.00 lakhs); and

(iii) "Rashtriya Swasthya Bima Yojna (RSBY – RSSY)"- saving of ₹29589.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹30000.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts, conduction of less training programme/conferences, non-finalisation of media campaign and non-receipt of viable proposals from implementing agencies.

(iv) "Human Resources Development for Emergency Medical Services" – saving of ₹1553.19 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6500.00 lakhs) was due to non-approval of schemes and pending utilization certificates.

(D) "General – Health Statistics and Evaluation – Strengthening of Health Information and Monitoring Systems" – saving of ₹3327.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6393.00 lakhs) was due to less official tours, non-receipt of medical claims, hiring of less contractual staff and economy measures.

(V) Under Major Head "2211"savings occurred under the following heads:-

(A) "Direction and Administration"

(क) "एनआरएचएम–आरसीएच लचीला पूल" – ₹45602.12 लाख की बचत (₹215289.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) टीकों तथा आपूर्तियों की आधिप्राप्ति न होने के कारण हुई।

(ख) "अवसंरचना अनुरक्षण" – ₹882.55 लाख की बचत (₹1356.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, कम दावे प्राप्त होने और चिकित्सा संस्थाओं के सदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता हेतु प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ग) "क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालय" – ₹741.89 लाख की बचत (₹5098.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(घ) "एनआरएचएम के राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण" – ₹611.61 लाख की बचत (₹10000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुईं।

(खा) "प्रशिक्षण – अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई" – ₹541.29 लाख की बचत (₹3392.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता होने और अनुदायी निकायों द्वारा उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत न किए जाने के कारण हुई।

(गा) "अनुसंधान तथा मूल्यांकन – स्वास्थ्य सर्वेक्षण और अनुसंधान अध्ययन" – ₹6010.93 लाख की बचत (₹9500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष के अव्ययित शेष उपलब्ध होने, अनुदायी निकायो द्वारा उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत न किए जाने तथा कम संविदागत कर्मचारी लगाए जाने के कारण हुई।

(घा) "जन शिक्षा – स्वस्थ नागरिक अभियान (एसएनए)" – ₹12688.45 लाख की बचत (₹35344.00 लाख

(a) "NRHM-RCH Flexible Pool" – saving of ₹45602.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹215289.00 lakhs) was due to non-procurement of vaccines and supplies.

(b) "Infrastructure Maintenance" - saving of ₹882.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1356.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less claims and non-receipt of proposals for financial assistance for strengthening of medical institutions.

(c) "Regional Health Offices" - saving of ₹741.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5098.00 lakhs); and

(d) "Strengthening of National Programme Management of the NRHM" - saving of ₹611.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts.

(B) "Training - International Institute for Population Sciences, Mumbai" - saving of ₹541.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3392.00 lakhs) was due to availability of unspent balances of the previous year and non-submission of utilization certificates by grantee bodies.

(C) "Research and Evaluation – Health Surveys and Research Studies"- saving of ₹6010.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9500.00 lakhs) was due to availability of unspent balances of previous year, non-submission of utilization certificates by grantee bodies and hiring of less contractual staff.

(D) "Mass Education – Swastha Nagrik Abhiyan (SNA)" – saving of ₹12688.45 lakhs (against the

के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, कम दावे प्राप्त होने, कम मीडिया प्रचार किए जाने और बीओसी/डीएवीपी द्वारा निधियों का इस्तेमाल न किए जाने के कारण हुईं।

(ङ) "प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम – राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन – आरसीएच लचीला पूल" – ₹1550.31 लाख की बचत (₹5391.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, कम प्रशिक्षण कार्यक्रमों/सम्मेलनों को आयोजित किए जाने, मीडिया प्रचार को अंतिम रूप न दिए जाने, व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा शर्तों को पूरा न किए जाने के कारण हुई।

(चा) "अन्य सेवाएं तथा पूर्तियाँ" –

(क) "गर्भ निरोधकों का सामाजिक विपणन" – ₹3907.07 लाख की बचत (₹13900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) "एफपी सामग्री की मुफ्त आपूर्ति" – ₹5470.33 लाख की बचत (₹14900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों को न भरे जाने, कम दावे प्राप्त होने, कार्यान्वयन एजेंसियों से व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त न होने तथा परिवार नियोजन सामग्री की अधिप्राप्ति न किए जाने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष "3601" – "केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें" – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "केंद्रीय सहायता/हिस्सा" –

(क) "राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना – आरएसएसवाई" – ₹77872.47 लाख की बचत (₹95000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने तथा राज्य

sanctioned provision of ₹35344.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less claims, undertaking of fewer media campaigns and non-utilisation of funds by BOC/DAVP.

(E) "Reproductive & Child Health Programme – NRHM - RCH Flexible Pool" - saving of ₹1550.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5391.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, conduction of less training programmes/ conferences, non-finalization of media campaigns, non-receipt of viable proposals, non-fulfillment of conditionalities by States and UTs' implementing agencies.

(F) "Other Services and Supplies"-

(a) "Social Marketing of Contraceptives" – saving of ₹3907.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13900.00 lakhs); and

(b) "Free Supply of FP Material" - saving of ₹5470.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14900.00 lakhs).

Saving under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts, receipt of less claims, non-receipt of viable proposals from implementing agencies and non- procurement of family planning material.

(VI) Under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Central Assistance/ Share"-

(a) "Rashtriya Swasthya Bima Yojna (RSBY)-RSSY" – saving of ₹77872.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹95000.00 lakhs) was due to non-receipt of

सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा शर्तें पूरी न किए जाने के कारण हुई।

(ख) "तृतीयक देखभाल कार्यक्रम/स्कीमें" – ₹25814.56 लाख की बचत (₹34170.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" –

(क) "राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना – आरएसएसवाई" – ₹37745.04 लाख की बचत (₹40000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) "तृतीयक देखभाल कार्यक्रम/स्कीमें" – ₹8627.77 लाख की बचत (₹9556.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम प्रस्ताव प्राप्त होने, राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा शर्तें पूरी न किए जाने, स्कीम को अनुमोदन न मिलने और वित्तपोषण पद्धति में बदलाव के कारण हुईं।

(ग) "राज्य औषध नियामक प्रणाली का सुदृढ़ीकरण" – ₹614.95 लाख की बचत (₹3866.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों के पास अव्ययित शेषों की उपलब्धता के कारण हुई।

(गा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(क) "राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना – आरएसएसवाई" – ₹7138.76 लाख की बचत (₹10000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) "तृतीयक देखभाल कार्यक्रम/स्कीमें" – ₹3501.44 लाख की बचत (₹4996.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

viable proposals and non-fulfillment of conditionalities by State Governments/ Implementing Agencies.

(b) "Tertiary Care Programme/Schemes"- saving of ₹25814.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹34170.00 lakhs);

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes"-

(a) "Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY) - RSSY"- saving of ₹37745.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹40000.00 lakhs); and

(b) "Tertiary Care Programme/Schemes" – saving of ₹8627.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9556.00 lakhs);

Savings under the above three heads were due to receipt of less proposals, non-fulfillment of conditionalities by State Governments/implementing agencies, non-approval of scheme and change in funding pattern.

(c) "Strengthening of State Drug Regulatory System" - saving of ₹614.95 lakhs(against the sanctioned provision of ₹3866.00 lakhs) was due to availability of unspent balances with the State Governments.

(C) "Tribal Area Sub Plan"-

(a) "Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY) - RSSY"- saving of ₹7138.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs); and

(b) Tertiary Care Programme/ Schemes" – saving of ₹3501.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4996.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने और राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा शर्तें पूरी न किए जाने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to non-receipt of viable proposals and non-fulfillment of conditionalities by State Governments/ Implementing Agencies.

(VII) मुख्य शीर्ष "3602" – "केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें" – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(VII) Under Major Head "3602"- "Centrally Sponsored Schemes" - savings occurred under the following heads:-

(का) "केंद्रीय सहायता/हिस्सा" –

(A) "Central Assistance/Share"-

(क) "राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन" – ₹4344.26 लाख की बचत (₹15623.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(a) "National Rural Health Mission" - saving of ₹4344.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15623.00 lakhs);

(ख) "परिवार कल्याण – अवसंरचना अनुरक्षण" – ₹659.51 लाख की बचत (₹1249.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(b) "FW - Infrastructure Maintenance"- saving of ₹659.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1249.00 lakhs);

(ग) "राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन – लचीला पूल" – ₹535.00 लाख की बचत (₹752.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(c) "National Urban Health Mission – Flexible pool"- saving of ₹535.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹752.00 lakhs);

(खा) "बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं – केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान – राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन" – ₹1536.00 लाख की बचत (₹5198.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(B) "Externally Aided Projects – Grants for Centrally Sponsored Schemes – National Rural Health Mission" – saving of ₹1536.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5198.00 lakhs);

(गा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" –

(C) "Special Component Plan for Scheduled Castes"-

(क) "राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन" – ₹501.00 लाख की बचत (₹971.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(a) "National Urban Health Mission – saving of ₹501.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹971.00 lakhs).

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत बचतें व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने तथा संघ राज्य क्षेत्रों/कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा शर्तें पूरी न किए जाने के कारण हुईं।

Savings under the above five heads were due to non-receipt of viable proposals and non- fulfillment of conditionalities by UTs/Implementing Agencies.

(ख) "राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन" – ₹2389.45 लाख की बचत (₹4974.00 लाख के स्वीकृत

(b) "National Rural Health Mission" – saving of ₹2389.45 lakhs (against the sanctioned

प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने, संघ राज्य क्षेत्रों/कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा शर्तें पूरी न किए जाने तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनुसूचित जाति आबादी के लाभ के लिए निधियों का कम इस्तेमाल किए जाने के कारण हुई।

(VIII) छह शीर्षों के अंतर्गत ₹1997.14 लाख की बचतें हुईं जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परन्तु ₹500.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत से 99 प्रतिशत तक थीं।

2. (I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹564599.03 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹365179.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था :–

(का) मुख्य शीर्ष "2071" – "सिविल – सीजीएचएस पेंशनभोगियों का चिकित्सीय उपचार – केंद्रीय सरकार पेंशनभोगी" – ₹8000.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹5024.03 लाख था।

(खा) मुख्य शीर्ष "2210" –

(क) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान" –

(i) "एलोपैथी" –

(1) "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़, को अनुदान" – ₹13000.00 लाख।

(2) "इंदिरा गाँधी स्वास्थ्य तथा चिकित्सा विज्ञान पूर्वोत्तर क्षेत्रीय संस्थान, शिलांग को अनुदान" – ₹23150.00 लाख।

provision of ₹4974.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals, non-fulfillment of conditionalities by UTs/ Implementing Agencies and low absorption of funds by UTs for the benefit of Scheduled Caste Population.

(VIII) Under six heads savings of ₹1997.14 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituted 13 percent to 99 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹564599.03 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹365179.00 lakhs under the following major heads:-

(A) Major Head "2071" – "Civil – Medical Treatment of CGHS Pensioners – Central Government Pensioners" - ₹8000.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹5024.03 lakhs.

(B) Major Head "2210"-

(a) "Medical Education, Training and Research" –

(i) "Allopathy"-

(1) "Grants to Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh" - ₹13000.00 lakhs.

(2) "Grants to North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, Shillong" – ₹23150.00 lakhs.

(3) "क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, इम्फाल" – ₹30205.00 लाख।

(4) "पराचिकित्सा तथा नर्सिंग विज्ञान क्षेत्रीय संस्थान, आइजॉल" – ₹1663.55 लाख ।

(ii) "आरक्षित निधि/जमा लेखे को अंतरण – राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण के लिए निधियां" – तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹270513.29 लाख था।

(ख) "लोक स्वास्थ्य" –

(i) "रोगों की रोकथाम और नियंत्रण – वृद्धों की स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम" – ₹2475.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹1296.48 लाख था।

(ii) "अन्य व्यय – आयुष्मान भारत – राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन" – ₹151843.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹128291.00 लाख था।

(गा) मुख्य शीर्ष "2211"

(क) "अनुसंधान तथा मूल्यांकन – जनसांख्यिकीय तथा अन्य संचार अनुसंधान" – ₹923.21 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹490.41 लाख था।

(ख) "अन्य व्यय – एनआरएचएम को अग्रेषण संपर्क" – ₹7560.50 लाख।

(घा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें" –

(3) "Regional Institute of Medical Sciences, Imphal" – ₹30205.00 lakhs.

(4) "Regional Institute of Paramedical and Nursing Sciences (RIPANS), Aizawl"– ₹1663.55 lakhs.

(ii) "Transfer to Reserve Fund/Deposit Account - Funds for transfer to National Investment Fund (NIF)"- Actual excess, however, was ₹270513.29 lakhs.

(b) "Public Health"-

(i) "Prevention and Control of Diseases – National Programme for Health Care for the Elderly" – ₹2475.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1296.48 lakhs.

(ii) "Other Expenditure - Ayushman Bharat – National Health Protection Mission (AB-NHPM)" – ₹151843.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹128291.00 lakhs.

(C) Major Head "2211" –

(a) "Research and Evaluation – Demographic and Other Communication Research" – ₹923.21 lakhs. Actual excess, however, was ₹490.41 lakhs.

(b) "Other Expenditure – Forward Linkages to NRHM" – ₹7560.50 lakhs.

(D) Major Head "3601" – "Centrally Sponsored Schemes"-

(क) "केंद्रीय सहायता / हिस्सा" –

(i) "राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन" – ₹70982.96 लाख तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹71557.40 लाख था।

(ii) "परिवार कल्याण – अवसंरचना अनुरक्षण" – ₹55274.94 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹55199.91 लाख था।

(iii) "राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन" – ₹1661.00 लाख।

(iv) "आशा लाभ पैकेज" – ₹9504.00 लाख।

(ख) "बाह्य सहायताप्राप्त परियोजनाएं – केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान – राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन" – ₹30273.57 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹28703.69 लाख था।

(ग) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" –

(i) "राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन" – ₹48237.56 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹49601.81 लाख था।

(ii) "परिवार कल्याण – अवसंरचना अनुरक्षण" – ₹22411.05 लाख।

(iii) "राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन" – ₹954.00 लाख ।

(iv) "आशा लाभ पैकेज" – ₹9059.00 लाख।

(घ) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(a) "Central Assistance/ Share"-

(i) "National Rural Health Mission"- ₹70982.96 lakhs. Actual excess, however, was ₹71557.40 lakhs.

(ii) "Family Welfare – Infrastructure Maintenance" – ₹55274.94 lakhs. Actual excess, however, was ₹55199.91 lakhs.

(iii) "National Urban Health Mission" – ₹1661.00 lakhs.

(iv) "Asha Benefit Package" – ₹9504.00 lakhs.

(b) "Externally Aided Projects – Grants for Centrally Sponsored Schemes – National Rural Health Mission" – ₹30273.57 lakhs. Actual excess, however, was ₹28703.69 lakhs.

(c) "Special Component Plan for Scheduled Castes"-

(i) "National Rural Health Mission" – ₹48237.56 lakhs. Actual excess, however, was ₹49601.81 lakhs.

(ii) "Family Welfare – Infrastructure Maintenance"–₹22411.05 lakhs.

(iii) "National Urban Health Mission" – ₹954.00 lakhs.

(iv) "Asha Benefit Package" – ₹9059.00 lakhs.

(d) "Tribal Area Sub Plan"-

(i) "राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन" – ₹55353.69 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹53085.57 लाख था।

(ii) "परिवार कल्याण – अवसंरचना अनुरक्षण" – ₹15846.00 लाख।

(iii) "राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन" – ₹1044.00 लाख।

(iv) "आशा लाभ पैकेज" – ₹5177.00 लाख।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईः–

(का) मुख्य शीर्ष "2251" – "सचिवालय – स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग" – ₹1182.77 लाख का अधिक व्यय (₹15899.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(खा) मुख्य शीर्ष "2210" –

(क) "शहरी स्वास्थ्य मिशन – एलोपैथी – अस्पताल और औषधालय – डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली" – ₹8070.57 लाख का अधिक व्यय (₹45812.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय रिक्त पदों को भरे जाने, जनशक्ति की आउटसोर्सिंग, आवास को किराए पर लेने, कार्यालय उपकरणों की अधिप्राप्ति और आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नति स्कीम दिए जाने के कारण हुआ।

(ख) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान – एलोपैथी – लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर" – ₹4997.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों

(i) "National Rural Health Mission" – ₹55353.69 lakhs. Actual excess, however, was ₹53085.57 lakhs.

(ii) "Family Welfare – Infrastructure Maintenance" – ₹15846.00 lakhs.

(iii) "National Urban Health Mission"- ₹1044.00 lakhs.

(iv) "Asha Benefit Package"- ₹5177.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2251" – "Secretariat – Department of Health & Family Welfare" – excess of ₹1182.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15899.00 lakhs); and

(B) Major Head "2210" -

(a) "Urban Health Services – Allopathy – Hospitals and Dispensaries – Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi" – excess of ₹8070.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹45812.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to filling up of vacant posts, outsourcing of manpower, hiring of accommodation, procurement of office equipments and grant of modified assured career progression scheme.

(b) "Medical Education, Training and Research - Allopathy – Lokopriya Gopinath Bordoloi Regional Institute of Mental Health (LGBRIMH) Tezpur" – excess of ₹4997.00 lakhs (against nil provision) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for

का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(ग) "लोक स्वास्थ्य – अन्य व्यय – स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी और प्रत्युत्तर" – ₹847.85 लाख का अधिक व्यय (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) औषधियों तथा केरल बाढ़ के लिए अन्य आपूर्तियों की अधिप्राप्ति के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम" –

(क) "केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन" – ₹41915.48 लाख का अधिक व्यय (₹268491.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसियों से और अधिक प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुआ।

(ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन" – ₹13131.00 लाख का अधिक व्यय (₹59288.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ग) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधान" – ₹6802.00 लाख का अधिक व्यय (₹31703.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों

utilization on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(c) "Public Health - Other Expenditure - Health Sector Disaster Preparedness and Response"– excess of ₹847.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs) was due to procurement of drugs and other supplies towards Kerala flood.

(C) Major Health "3601" - "Centrally Sponsored Scheme" –

(a) "Central Assistance Share – Human Resources for Health and Medical Education" – excess of ₹41915.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹268491.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and receipt of more proposals from State Government/ implementing agencies.

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Human Resource for Health and Medical Education"- excess of ₹13131.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹59288.00 lakhs); and

(c) "Tribal Area Sub-Plan – Human Resource for Health and Medical Education"- excess of ₹6802.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹31703.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/

पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(III) दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय ₹558.91 लाख का अधिक व्यय हुआ, जो प्रत्येक प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 15 प्रतिशत तथा 21 प्रतिशत था।

(III) Under two heads excess of ₹558.91 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs and constituting 15 percent and 21 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹42090.01 लाख) हुई जो जुलाई, 2018, दिसंबर, 2018 तथा फरवरी, 2019 में प्राप्त किए गए ₹201493.00 लाख के पूरक अनुदान का 21 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 9 प्रतिशत थीं।

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹42090.01 lakhs) constituted 21 percent of the supplementary grants of ₹201493.00 lakhs obtained in July, 2018, December, 2018 and February, 2019 and 9 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:—

Savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
मुख्य शीर्ष "4210"	Major Head "4210"				
चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Medical and Public Health				
मू.	O.	264148.00			
पू.	S.	196291.00	428036.89	429429.71	1392.82
पु.	R.	-32402.11			
मुख्य शीर्ष "4552"	Major Head "4552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	5000.00			
पू.	S.	5001.00	5001.00	..	-5001.00
पु.	R.	-5000.00			

(I) ₹24875.00 लाख का प्रावधान (₹5201.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) दस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹24040.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(का) मुख्य शीर्ष "4210" –

(क) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान – एलोपैथी – राजकुमारी अमृत कौर कालेज ऑफ नर्सिंग, नई दिल्ली" – ₹3039.00 लाख – कार्य की धीमी प्रगति होने तथा वाहनों की अधिप्राप्ति के लिए प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण।

(ख) "लोक स्वास्थ्य – अन्य कार्यक्रम" –

(i) "राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना – आरएसएसवाई" – ₹5000.00 लाख – भूमि तथा भवनों की अधिप्राप्ति न किए जाने के कारण।

(ii) "स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी और प्रत्युत्तर" – ₹6000.00 लाख – निविदा प्रक्रिया तथा कार्य की धीमी प्रगति के कारण।

(खा) मुख्य शीर्ष "4552" –

(क) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान – एलोपैथी – एम्स सरीखे अति–विशिष्ट अस्पतालों–सह–शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और राज्य सरकारी अस्पतालों का उन्नयन" – ₹5001.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) – पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण।

(ख) "आरक्षित निधि/जमा लेखे को अंतरण – राष्ट्रीय केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि को सहायता"

(I) Provision of ₹24875.00 lakhs (including supplementary grant of ₹5201.00 lakhs remained wholly unutilised under ten heads; of these ₹24040.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "4210" –

(a) "Medical Education, Training and Research – Allopathy – Raj Kumari Amrit Kaur College of Nursing, New Delhi – ₹3039.00 lakhs – due to slow pace of work and non-finalisation of proposals for procurement of vehicles.

(b) "Public Health – Other Programmes"-

(i) "Rashtriya Swasthya Bima Yojna (RSBY) - RSSY"- ₹5000.00 lakhs - due to non-procurement of land & buildings.

(ii) "Health Sector Disaster Preparedness and Response"– ₹6000.00 lakhs - due to delay in tendering process and slow pace of work.

(B) Major Head "4552" –

(a) "Medical Education, Training and Research Allopathy – Establishment of AIIMS type Super-Speciality Hospitals-cum-Teaching Institutions and Upgrading of State Government Hospitals"– ₹5001.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) – due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(b) "Transfer to Reserve Fund/ Deposit Account – Support from National Central Roads and

– ₹5000.00 लाख का पूरक प्रावधान – केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से अनुमान प्राप्त न होने के कारण।

(II) मुख्य शीर्ष "4210" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं" –

(क) "केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना – औषधालयों/अस्पताल खोला जाना" – ₹2944.02 लाख की बचत (₹5317.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मोटर वाहनों, मशीनरी तथा उपकरणों की अधिप्राप्ति में विलंब होने और पूंजीगत कार्यों में व्यय की गति धीमा होने के कारण हुई।

(ख) "अस्पताल और औषधालय – सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली" – ₹1189.98 लाख की बचत (₹11800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वाहनों की अधिप्राप्ति के लिए प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(खा) "लोक स्वास्थ्य – अन्य कार्यक्रम" –

(क) "राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र" – ₹2401.41 लाख की बचत (₹2412.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) "राष्ट्रीय एड्स तथा एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम" – ₹6569.72 लाख की बचत (₹13000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ग) "केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन" – ₹6878.17 लाख की बचत (₹8790.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

Infrastructure Fund" – supplementary provision of ₹5000.00 lakhs - due to non-receipt of estimates from Central Public Works Department.

(II) Under Major Head "4210" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Urban Health Services" –

(a) "Central Government Health Scheme – Setting up of Dispensaries/Hospitals" – saving of ₹2944.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5317.00 lakhs) was due to delay in procurement of motor vehicles, machinery and equipments and slow pace of expenditure in capital works.

(b) "Hospitals and Dispensaries - Safdarjung Hospital, New Delhi" – saving of ₹1189.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11800.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposal for procurement of vehicles.

(B) "Public Health – Other Programmes" –

(a) "National Centre for Disease Control" – saving of ₹2401.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2412.00 lakhs);

(b) "National AIDS and STD Control Programme" – saving of ₹6569.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13000.00 lakhs);

(c) "Central Drugs Standards Control Organisation"– saving of ₹6878.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8790.00 lakhs);

(घ) "एनसीडीसी शाखाओं तथा स्वास्थ्य पहलों की स्थापना और सदृढ़ीकरण – जूनोटिक रोगों तथा अन्य उपेक्षित उष्ण कटिबन्धीय रोगों के लिए तैयारी तथा नियंत्रण हेतु अंतरक्षेत्रीय समन्वय, वायरल हेपेटाइटिस की पड़ताल, एंटी माइक्रोबॉयल रेजिस्टेंस" – ₹2805.75 लाख की बचत (₹3000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(d) "Establishment and Strengthening of NCDC Branches and Health Initiatives – Inter Sectoral Co-ordination for preparation and Control of Zoonotic Disease and other neglected tropical diseases, surveillance of Viral Hepatitis, Anti Microbial Resistance" – saving of ₹2805.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs).

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचतें वाहनों, मशीनरी और उपकरणों की अधिप्राप्ति के लिए प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से अनुमान प्राप्त न होने के कारण हुईं।

Savings under the above four heads were due to non-finalisation of proposals for procurement of vehicles, machinery and equipments and non-receipt of estimates from Central Public Works Department.

(III) चार शीर्षों के अंतर्गत ₹1441.20 लाख की बचतें हुईं जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परन्तु ₹500.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 24 प्रतिशत से 76 प्रतिशत थीं।

(III) Under four heads saving of ₹1441.20 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituted 24 percent to 76 percent of the sanctioned provision.

4. (I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹2300.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "4210" – "लोक स्वास्थ्य – अन्य कार्यक्रम – डब्ल्यू एच ओ का पुनर्निर्माण – एसईएआरओ भवन, नई दिल्ली" के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था – तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹2280.00 लाख था।

4.(I) The above savings were partly (₹2300.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh under Major Head "4210" – "Public Health – Other Programmes – Reconstruction of WHO – SEARO Building New Delhi" - Actual excess, however, was ₹2280.00 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "4210" – "चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान" के अंतर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के तहत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई थीं:–

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "4210" – "Medical Education, Training and Research"—under the following heads:-

(का) "एलोपैथी – एम्स सरीखे अति विशिष्ट अस्पतालों–सह–शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा राज्य सरकारी अस्पतालों का उन्नयन" – ₹3045.12 लाख का अधिक व्यय (₹192290.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य की लागत में वृद्धि के कारण हुआ।

(A) "Allopathy - Establishment of AIIMS type Super-Speciality Hospitals-cum-Teaching Institutions and Upgrading of State Government Hospitals" – excess of ₹3045.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹192290.00 lakhs) was due to escalation in cost of works.

(खा) “आरक्षित निधि / जमा लेखे को अंतरण – केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से सहायता” – ₹3004.39 लाख का अधिक व्यय (₹192290.00 लाख के पूरक प्रावधान की तुलना में) निधि का अधिक अंतरण होने के कारण हुआ।

(B) “Transfer to Reserve Fund/ Deposit Account – Support from Central Road and Infrastructure Fund (CRIF)” – excess of ₹3004.39 lakhs (against the supplementary provision of ₹192290.00 lakhs) was due to more transfer of funds.